समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

पेट्रोल-डीजल बिक्री पर नया नियम लागू : 200 लीटर की सीमा से आम जनता को राहत, बड़े कारोबारियों पर पड़ेगा असर

Sanket Morankar

Published on 12 Jun 2026

ईरान-अमेरिका तनाव और वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब रिटेल पेट्रोल पंपों से 200 लीटर से अधिक ईंधन की बिक्री केवल अधिकृत श्रेणियों और निर्धारित व्यवस्था के तहत ही की जा सकेगी।

सरकार का उद्देश्य ईंधन की जमाखोरी रोकना, सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाना और खुदरा व थोक बिक्री के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करना है। हालांकि इस फैसले का आम उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं और संस्थानों को नई व्यवस्था के अनुसार अपनी खरीद प्रणाली बदलनी होगी।

किन लोगों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर ?

नए नियम का प्रभाव मुख्य रूप से उन संस्थानों और कंपनियों पर पड़ेगा जो बड़ी मात्रा में पेट्रोल या डीजल की खरीद करते हैं।

इनमें शामिल हैं:

- निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां
- खनन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां
- औद्योगिक इकाइयां और फैक्ट्रियां
- बड़े ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर
- बड़े होटल, मॉल और कॉर्पोरेट कैंपस
- अस्पताल और डेटा सेंटर

- बड़े पैमाने पर डीजल जनरेटर संचालित करने वाले संस्थान

ऐसे उपभोक्ताओं को अब 200 लीटर से अधिक ईंधन की आवश्यकता होने पर अधिकृत बल्क सप्लाई चैनल का उपयोग करना होगा।

आम वाहन चालकों को नहीं होगी कोई परेशानी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सामान्य उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं करेगा।

निम्न श्रेणियों पर इसका असर नहीं होगा:

- बाइक चालक
- कार और एसयूवी मालिक
- छोटे किसान
- सीमित मात्रा में ईंधन खरीदने वाले छोटे व्यापारी
- रोजमर्रा की जरूरत के लिए पेट्रोल-डीजल खरीदने वाले उपभोक्ता

ऐसे लोगों को पहले की तरह सामान्य रूप से पेट्रोल पंपों से ईंधन मिलता रहेगा।

हाउसिंग सोसायटी पर भी लागू हो सकता है नियम

यदि कोई आवासीय सोसायटी अपने डीजल जनरेटर या अन्य आवश्यकताओं के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदती है, तो उसे भी व्यावसायिक या बल्क उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जा सकता है।

ऐसी स्थिति में सोसायटी को रिटेल पेट्रोल पंप से सीधे 200 लीटर से अधिक ईंधन खरीदने के बजाय अधिकृत सप्लाई चैनल के माध्यम से खरीद करनी होगी।

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम ?

सरकार के अनुसार ईंधन क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों और संभावित जमाखोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मुख्य कारण:

- तेल की आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित बनाना
- अवैध ईंधन कारोबार पर रोक लगाना
- खुदरा और थोक बिक्री में पारदर्शिता लाना
- सप्लाई चेन की निगरानी मजबूत करना
- संकट के समय ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना

कब से लागू हुआ नया नियम ?

सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और फिलहाल 90 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान सभी पेट्रोल पंप संचालकों और संबंधित संस्थानों को नए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई ?

यदि कोई रिटेल पेट्रोल पंप निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन की बिक्री करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

संभावित कार्रवाई में शामिल हैं:

- लाइसेंस संबंधी कार्रवाई

- आर्थिक जुर्माना
- नियामकीय प्रतिबंध
- संचालन संबंधी अन्य दंडात्मक कदम

तेल विपणन कंपनियां और संबंधित सरकारी एजेंसियां इसकी निगरानी करेंगी।

क्या आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत है?

विशेषज्ञों का कहना है कि आम नागरिकों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। यह नियम मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर ईंधन खरीदने वाले व्यावसायिक उपभोक्ताओं को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है।

सरकार का मानना है कि इससे ईंधन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और किसी भी आपात स्थिति में आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.